

कार्यालय, अंचल अधिकारी, गारु।

आदेश का उद्घरण

विधि वाद सं०..... ०१ वर्ष २०२१-२२

में पारित आदेश के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि आवेदक/आवेदिका सुन्दर देवी पिता/पति श्री ३३ देव ग्राम सावपुर थाना गारु जिला मधेपुरा के नाम से निम्नांकित भूमि का मांग पंजी ०२ में हाल सर्वे खतियान के आधार पर मांग कायम करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें तथा बकाया लगान की वसूली करें।

भूमि का विवरण

ग्राम	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० डी०	लगान रू० पै०
थाना सं०	५७	१०१	०.२८	१०.०० रु०
<u>सावपुर</u>		१०८	०.१२	२०.२५ रु०
७		११२	०.३०००	
			०.७० रु०	
			०.४७ रु०	

(कुल रकबा सेंगलिस डिस्मील मात्र)

सुन्दर देवी
28/07/2021

अंचल अधिकारी
गारु।